लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **तारा चन्द मीणा**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/25/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:—16.03.2021
GCMS No.:-2021/105

श्री लोकेश कुमार बापना निवासी 246, विण्डसर अपार्टमेन्ट, श्री गोपाल नगर, जयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (रा.) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 12.04.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक, पेंशन वित्त भवन, जयपुर के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 11.01.2021 को प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर ने अपने पत्रांक/प.4(224)(234)निपेवि/स्था/सू.अ./2005/2020—21/14084—R दिनांक 10.02.2021 से आवेदन कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित कर अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 25/2021/(12.04)/264 दिनांक 18.03.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 12.04.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्र (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 12.04.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 25 / 2021 (सू.अ.)
श्री लोकेश कुमार बापना निवासी जयपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक / को.चि. / स्थापना / आ.टी.आई. / 2020–21 / 18 दिनांक 07.04.2021 से कमेन्ट्स प्रेषित किए जो इस प्रकार है:–

अपीलार्थी श्री लोकेश कुमार बापना पुत्र स्व. श्री मान सिंह बापना द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी निदेशक, पेंशन, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर के द्वारा चाही गई है। लोक सूचना अधिकारी निदेशक, पेंशन, वित्त भवन, जयपुर के पत्रांक प.4(224)(234)निपेवि / स्था / सू.अ. / 2005 / 2020–21 / 14084–R दिनांक 10.02.2021 द्वारा उक्त सूचना चाही जाने पर इस कार्यालय के पत्रांक / को.चि. / स्थापना / आ.टी.आई. / 2020–21 / 421–22 दिनांक 15.03.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी निदेशक, पेंशन, वित्त भवन, जयपुर को प्रेषित कर दी गई है। (प्रेषित सूचना की प्रति संलग्न है।)

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक / को.चि. / स्थापना / आ.टी.आई. / 2020–21 / 18 दिनांक 12.04.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 11.01.2021 से वांछित सूचना कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर ने अपीलार्थी का आवेदन कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित करते हुए उसे सीधे ही वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किए थे किन्तु कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी को सीधे ही सूचना उपलब्ध नहीं कराकर उक्त सूचना जरिये पत्रांक / को.चि. / स्थापना / आ.टी.आई. / 2020–21 / 421–22 दिनांक 15.03.2021 से अतिरिक्त निदेशक एवं लोक सूचना अधिकारी, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित की है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 25 / 2021 (सू.अ.)
श्री लोकेश कुमार बापना निवासी जयपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.01.2021 से सहायक लेखाधिकारी स्व. श्री मान सिंह बापना के सहायक लेखाधिकारी के पद पर सेवारत रहते दिनांक 23.01.1995 को मृत्यु उपरान्त एफपीपीओ संख्या 103087 ® SF पर पारिवारिक पेंशन के रूप में श्रीमति ललिता देवी बापना को किया गया सकल भुगतान का विवरण 24 जनवरी, 1995 से लेकर 17 फरवरी, 2003 तक की सूचना चाही गई है। कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर को प्रेषित सूचना के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होने श्रीमति ललिता देवी बापना को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से करना बताते हुए संबंधित बैंक से सूचना प्राप्त किए जाने हेतु लिखा है जबकि पेंशन संबंधित समस्त प्रकार का भुगतान कोषालय के माध्यम से ही संबंधित पेंशनर्स के खाते में जमा कराया जाता है जिससे उक्त सूचना कोषालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./25/2021(सू.अ.)/335 दिनांकः– 12/06/2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री लोकेश कुमार बापना निवासी 246, विण्डसर अपार्टमेन्ट, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302019

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official